राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1353/2007/अलवर.
2. अपील संख्या – 1354/2007/अलवर.
3. अपील संख्या – 1355/2007/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन अलवर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अलवर माल्ट एण्ड एग्रो फूड्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अलवर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री क्रान्ति मेहता, अधिकृत प्रतिनिधि ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/02/2016

निर्णय

1. ये तीनों अपीलें अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 391/उपा–भरत/05–206/आरएसटी, आदेश दिनांक 28.12.2006, अपील संख्या 276/उपा–भरत/04–05/आरएसटी, आदेश दिनांक 28.12.2006 एवं अपील संख्या 277/उपा–भरत/04–05/आरएसटी, आदेश दिनांक 28.12.2006, के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत कि गई हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 30, 10, 58 व 65, के तहत पारित किये गये आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपील संख्या 391 में आशिंक रूप से स्वीकार एवं प्रतिप्रेषित किया गया है, अपील संख्या 276 में अपील स्वीकार की गई है, एवं अपील संख्या 277 में अपील को आंशिक रूप से स्वीकार व प्रतिप्रेषित किया है।

2. अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई है। तीनों अपीलें एक ही पक्षकार से संबंधित होने कारण तथा समान बिन्दु होने के कारण तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय के प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :–

लगातार..............2

क्र. सं.	अपील संख्या 1353/2007	अपील संख्या 1354/2007	अपील संख्या 1355/2007
1.	प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 की अवधि में घोषणा पत्र एस.टी.17 के समर्थन पर रेक्टिफाईड स्पिरिट कच्चे माल के रूप में खरीद कर इसका प्रयोग भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के निर्माण में किया जा कर निर्मित माल भारत निर्मित विदेशी शराब जो कर मुक्त है की बिक्री की गई है।	प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 की अवधि में घोषणा पत्र एस.टी.17 के समर्थन पर रेक्टिफाईड स्पिरिट कच्चे माल के रूप में खरीद कर इसका प्रयोग भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के निर्माण में किया जा कर निर्मित माल भारत निर्मित विदेशी शराब जो कर मुक्त है की बिक्री की गई है।	प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 की अवधि में घोषणा पत्र एस.टी.17 के समर्थन पर रेक्टिफाईड स्पिरिट कच्चे माल के रूप में खरीद कर इसका प्रयोग भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के निर्माण में किया जा कर निर्मित माल भारत निर्मित विदेशी शराब जो कर मुक्त है की बिक्री की गई है।
2.	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(11)/एफडी/ग्रुप-4/95-55 दिनांक 27.03.1995, के अनुसार कर मुक्त माल के निर्माण एवं विक्रय हेतु उपयोग में किया जाने वाला कच्चा माल जो घोषणा पत्र एसटी 17, के समर्थन पर खरीदा जाता है, पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता होती है।	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(11)/एफडी/ग्रुप-4/95-55 दिनांक 27.03.1995, के अनुसार कर मुक्त माल के निर्माण एवं विक्रय हेतु उपयोग में किया जाने वाला कच्चा माल जो घोषणा पत्र एसटी 17, के समर्थन पर खरीदा जाता है, पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता होती है।	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(11)/एफडी/ग्रुप-4/95-55 दिनांक 27.03.1995, के अनुसार कर मुक्त माल के निर्माण एवं विक्रय हेतु उपयोग में किया जाने वाला कच्चा माल जो घोषणा पत्र एसटी 17, के समर्थन पर खरीदा जाता है, पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता होती है।
3.	प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में विहित 4 प्रतिशत की कर दर से भुगतान नहीं किया है, वरन 3 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी ने 1 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व ब्याज आरोपण की कार्यवाही की है।	प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में विहित 4 प्रतिशत की कर दर से भुगतान नहीं किया है, वरन 3 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी ने 1 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व ब्याज आरोपण की कार्यवाही की है।	प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में विहित 4 प्रतिशत की कर दर से भुगतान नहीं किया है, वरन 3 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी ने 1 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व ब्याज आरोपण की कार्यवाही की है।
4.	इस अपील में विक्रेता व्यवहारी मैसर्स ग्लोबस एग्रोनिक्स लि., श्यामपुरा, बहरोड़ की खरीद कीमत 82,469/-, मैसर्स एसोसिएटेड एल्कोहल एण्ड ब्रेवरिज लि., कोटपूतली के खरीद कीमत 23,59,000/- एवं मैसर्स एलाईड डोमिक, बहरोड़ के खरीद कीमत 3,29,000/- है। तीनों विक्रेताओं से की गई सकल खरीद राशि 27,70,469/- पर 1 प्रतिशत की दर से अन्तर कर 27,705/-, सरचार्ज 4,656/- व ब्याज राशि 29,790/- का आरोपण किया गया है।	इस अपील में विक्रेता व्यवहारी मैसर्स ग्लोबस एग्रोनिक्स लि., श्यामपुरा, बहरोड़ की खरीद कीमत 17,18,500/- है। विक्रेता से की गई सकल खरीद राशि 17,18,500/- पर 1 प्रतिशत की दर से अन्तर कर राशि 17,185/-, सरचार्ज 2,578/-, ब्याज राशि 16,335/- व शास्ति राशि 39,526/- का आरोपण किया गया है।	इस अपील में विक्रेता व्यवहारी मैसर्स ग्लोबस एग्रोनिक्स लि., श्यामपुरा, बहरोड़ की खरीद कीमत 15,29,909/- है। विक्रेता से की गई सकल खरीद राशि 15,29,909/- पर 1 प्रतिशत की दर से अन्तर कर राशि 15,299/-, सरचार्ज 2,295/-, ब्याज राशि 10,296/- व शास्ति राशि 35,188/- का आरोपण किया गया है।
5.	अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश वर्ष 2000-2001, अधीन धारा 30 व 58 दिनांक 30.11.2005, के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 391 में अपील को आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया।	अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश वर्ष 2000-2001, अधीन धारा 30, 10, 58 व 65 दिनांक 13.01.2005, के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 276 में आरोपित कर सरचार्ज ब्याज व शास्ति को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार की गई।	अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश वर्ष 2001-2002, अधीन धारा 30, 10, 58 व 65 दिनांक 13.01.2005, के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 277 में आरोपित कर सरचार्ज ब्याज व शास्ति को अपास्त करते हुए अपील आशिंक स्वीकार की जा कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया।

लगातार.............3

4. अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया की अपील संख्या 1353/2007 व 1355/2007 में प्रतिप्रेषित आदेश की पालना की जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी विभाग की अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। अपील संख्या 1353/2007 व 1355/2007 में अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश पारित कर दिये जाने के कारण दोनो अपीलें निष्प्रभावी हो जाती है। अपील संख्या 1354 में विवादित खरीद राशि पर आरोपित अन्तर कर, ब्याज व शास्ति के संबंध में विक्रेता व्यवहारी मैसर्स ग्लोबस एग्रोनिक्स लि., के वर्ष 2000-2001 के लिये भिवाड़ी द्वारा पारित आदेश द्वारा 31.03.2005 के द्वारा समस्त बिक्रियों पर 1 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया जा चुका था, अतः समान सव्यंवहार पर दुबारा क्रेता पर करारोपण करना अविधिक है। किसी भी संव्यवहार की बिक्री पर करारोपण कर दिये जाने के पश्चात् पुनः समान टर्नओवर पर करारोपण करना विधिसंम्मत नहीं है। अपीलार्थी की अपील संख्या 1353/2007 व 1355/2007 में प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में आदेश पारित कर दिये जाने के कारण अपील निष्प्रभावित हो जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः खारिज की जाती है। अपील संख्या 1353/2007 व 1355/2007 में शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने के आदेश की पुष्टि की जाती है, तथा अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की अपील अस्वीकार की जाती है। अपील संख्या 1354/2007 में अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। उपरोक्त तीनों अपीलों का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

7. निर्णय सुनाया गया।

29.02.2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य